Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

डूंगरमल बनाम पांची देवी वगैरह

किस्म मुकदमा :– राजस्व वाद, नम्बर :– 102/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
14.5.2018	वादी उपस्थित। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–निम्बोल में वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत् पेशकिया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा–निम्बोल, तहसील–जैतारण के खसरा नम्बर 49/2 रकबा 17–00 बीघा भूमि में सह खातेदार के रुप में प्रकाश पुत्र गणपतलाल जाति–कुम्हार निवासी निम्बोल का नाम दर्ज हैं। जबकि वास्तविक डूंगरमाल पुत्र गणपतलाल जाति–कुम्हार निवासी निम्बोल है। सबूत में वादी ने आधार कार्ड, पहचान–पत्र की छाया प्रति पेश की हैं। वादी एवं प्रतिवादी ने राजीनामा पेश किया उक्त खसरा नं. की आराजी में सह खातेदार प्रकाश पुत्र गणपतलाल के स्थान पर डूंगरमाल पुत्र गणपतलाल जाति–कुम्हार निवासी निम्बोल दर्ज किया जावें राजीनामा पैनल द्वारा तस्दीक किया गया जो सा0 मि0 हो। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया हैं। राजस्व लोक अदालत में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। मौजा–निम्बोल, तहसील–जैतारण के खसरा नम्बर 49/2 रकबा 17–00 बीघा भूमि में सह खातेदार के रुप में प्रकाश पुत्र गणपतलाल जाति–कुम्हार निवासी निम्बोल का नाम दर्ज हैं। जबंकि वास्तविक डूंगरमाल पुत्र गणपतलाल जाति–कुम्हार निवासी निम्बोल है। सबूत में वादी ने आधार कार्ड, पहचान–पत्र, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र, जमाबन्दी संवत् 2073–76 की छाया प्रति पेश की हैं। पटवारी हल्का से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आवेदन पत्र की पुश्त पर ली गई पटवारी हल्का द्वारा उक्त नाम दुरस्त किया जाना उचित बताया है। वादी का नाम दर्ज किया जाता हैं, तो प्रति0 को कोई आपति नहीं हैं। वादी के सही नाम डूंगरमल पुत्र गणपतलाल घोषित करना उचित समझते हैं। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा–निम्बोल, तहसील–जैतारण के खसरा नम्बर 49/2 रकबा 17–00 बीघा भूमि में सह खातेदार के रुप में प्रकाश पुत्र गणपतलाल जाति–कुम्हार निवासी निम्बोल का नाम के स्थान पर डूंगरमल पुत्र गणपतलाल जाति–कुम्हार निवासी निम्बोल घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)	

Scanned by CamScanner